रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.–33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2011/श्रावण 18, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 133] DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2011/SRAVANA 18, 1933 [N.C.T.D. No. 118

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

सं. फा. 802/टीओ (एस)/टीसी-फिलिंग/10-11/1746-55.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः, अब, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तीन स्थानों अर्थात् चैम्सफोर्ड क्लब परिसर, जनपथ, मंडी हाउस में निर्माण स्थलों से 203 वृक्षों को हटाने संबंधी प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय, मंडी हाउस गलियारा दिल्ली एम. आर. टी. एस. परियोजना तृतीय चरण के निर्माण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से 4.33 हैक्टेयर क्षेत्रफल को इसके द्वारा छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :—

1. स्वदेशी किस्मों के लम्बे 2030 पौधों का प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा तथा रिंग रोड बाई पास, सलीमगढ़ किला, उत्तर वन मंडल में पाँच वर्ष के लिए देखभाल की जाएगी ।
2. आवेदक को उप-वन संरक्षक (उत्तर) आहरण एवं संवितरण अधिकारी कमला नेहरू रिज, वन एवं वन्य प्राणी विभाग, दिल्ली सरकार में 56,84,000 रुपये (छप्पन लाख चौरासी हजार रुपये मात्र) की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी, जो 2030 पौधों का आरोपण तथा जमा प्रतिभूति राशि का प्रयोग करके इनकी देखभाल की जाएगी ।
3. वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु उनके संबंधित कर्मचारियों को सौंपी जाए ।
4. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आगामी मानसून के अंत तक पूरा किया जाए ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

केशव चन्द्र, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th August, 2011

No. F. 802/TO(S)/TC/10-11/1746-55.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of 4.33 Ha. from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act for the proposed construction of Central Secretariat-Mandi

House Corridor of Delhi MRTS Project Phase-III involving removal of 203 Nos. of trees from the construction sites at three different locations namely Chelmsford Club Premises, Janpath, Mandi House subject to following conditions :—

1. The compensatory plantation of 2030 saplings of tall native tree species shall be done and maintained for five years at Ring Road By pass, Salimagarh Fort, North Forest Division.
2. The applicant shall deposit the Security Amount of Rs. 56,84,000 (Rs. fifty six lakh eighty four thousand only) with DCF (North), DDO, Kamala Nehru Ridge, Department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi who shall ensure the Plantation of 2030 saplings and its maintenance using the deposited security amount.
3. The wood obtained after removal of trees shall be handed over to the officials concerned of MCD for its use in public crematoria in Delhi.
4. The compensatory plantation shall be completed by the end of the ensuing monsoon.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KESHAV CHANDRA, Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

सं. फा. 8/1/96-न्याय/खंड-1/1009-1013.—दिनांक 26-9-1996 की पिछली अधिसूचना संख्या फा. 8/1/96-न्याय/खंड-2/4947 के क्रम में तथा दिल्ली विधायी सेवा अधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 3 के साथ पठित दिल्ली विधायी सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से दिल्ली विधायी सेवा अधिकरण का नाम बदलकर दिल्ली राज्य विधायी सेवा अधिकरण करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATON

Delhi, the 9th August, 2011

No. F. 8/1/96-Judl./Vol. I/1009-1013.—In continuation of earlier notification No. F. 8/1/96-Judl./Vol. II/4947, dated the 26th September, 1996 and in pursuance of the provision contained in Section 6 of the Legal Services Authority Act, 1987, read with Rule 3 of the Delhi, Legal Services Authorities Rules, 1996, the Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of High Court of Delhi, is pleased to change the name of Delhi Legal Services Authority as Delhi State Legal Services Authority.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.